PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Hindustan, Delhi
Saturday, 30th July 2011, Page: 3
Width: 10.92 cms Height: 8.47 cms, Ref: pmin.2011-07-30.53.15

एक पर्चे पर बार-बार दवा लेने की नहीं होगी आजादी

नई दिल्ली | कार्यालय संवाददाता

दवाओं की बिक्री को लेकर केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नये नियम के बाद एक ही पर्चे पर बार-बार दवा लेने की आजादी नहीं होगी। मरीज को डॉक्टर से दोबारा सलाह लेकर पर्चे का नवीनीकरण कराना होगा।

दवाओं की बिक्री की नई व्यवस्था मरीजों के लिए ही दवा दुकानदारों के लिए भी अव्यवहारिक है। यही कारण है कि कैमिस्ट एसोसिएशन के एक तबके ने एक अगस्त को चार राज्यों में दवा दुकानें बंद करने का ऐलान किया है। हालांकि संगठन के एक पक्ष ने एक सिरे से बंद को खारिज करने की बात कही है। ऑल इंडिया कैमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेडरेशन के अध्यक्ष कैलाश गुप्ता ने बताया कि दवाओं की बिक्री के नये कानून से मरीजों की दिक्कतें बढ़ेगी। इसके साथ ही दवा दुकानदारों को भी नुकसान होगा, किसी भी सूरत में नये नियम के आधार पर दवाओं की बिक्री नहीं हो पाएगी। यदि सरकार सख्ती से नियम को लागू करती है तो 10 प्रतिशत कैमिस्ट भी नये कानून का पालन नहीं कर पाएगें। बंद को लेकर जारी गतिरोध के बावजूद काम की बात यह है कि सोमवार को दवा दुकानों के भरोसे न रहें, रविवार को दुकानें खुलेंगी, जरूरी स्टॉक सुरक्षित कर लें।

विरोध

- एक अगस्त को बंद होगी दवा दुकानें
- दवा खरीदना ही नहीं बेचना भी हुआ मुश्किल